

विद्युत सुरक्षा निदेशालय

कार्य पूरक प्रमाण-पत्र

(राज्य सरकार ने अनुज्ञाप्ति (लाइसेंस) प्राप्त ठेकेदार द्वारा भरा जायेगा।)

क्रम संख्या-

उद्योग का नाम

राम लखन

संख्या

दीश लाल

बैंकर की अवधिति

मुख्य उपर्युक्त भौतिक लोद्याबाही वाला शास्त्री

वोल्टता और प्रदाय की प्रणाली-

(1) वोल्टता

५००/५००

५००/५००

(2) कलाओं (फेजों) की संख्या

३०/३०

(3) ए० सी० / डी० सी०

१८५० वाली

दावारिंग का प्रायोजन -

दावारिंग का प्रकार (बैटन कन्डयूट इत्यादि) : मुख्य उपर्युक्त भौतिक लोद्याबाही वाला शास्त्री

संस्थापना की विशिष्टियाँ :- : ३१/२१ वाली वी वी एच एच एम एम एम एम एम एम एम

विवरण	220/230 वोल्ट्स						400/440 वोल्ट्स		उच्च/अति उच्च वोल्टता/संस्थापना	
	फेज 1		फेज 2		फेज 3		संख्या		कुल क्षमता	
	संख्या	कुल वोल्ट्स	संख्या	कुल वोल्ट्स	संख्या	कुल वोल्ट्स	संख्या	कुल क्षमता	संख्या	कुल क्षमता
1- (1) बत्तियों के घाइंट (2) पंखा के घाइंट (3) प्लग घाइंट (4) मोटरें/जनरेटर्स (पूर्व ब्योरा दिया जाय)							१४४४१	१४४४१ किलो		
	५०५४१	१२०					१४४४१	१४४४१ किलो		
योग -		१२०					१४४४१	१४४४१ किलो		

11 - अन्य उपकरण (पूरा ब्योरा दिया जाये)

(1)

एक १० किलो

(2)

द्वितीय ३०.५.३०२५

कुल संयोजित भार किलोवाट में - १४४४१

१५००००

अधिकतम करेंट मांग, एम्पियर में - १००

(कुल संयोजित भार के आधार पर) १४४४१

(2)

विद्युत रोधी प्रतिरोधी कम से कम एक मैगाओम होगा अथवा उतना जितना भारतीय मानक संस्थान द्वारा समय पर
(विद्युत रोधी कम होगा अथवा उतना जितना भारतीय मानक संस्थान द्वारा समय पर)

उपर्युक्त विद्युत रोधी प्रतिरोधी के परीक्षण का परिणाम -

फेज-1 व अर्थ

फेज-2 व अर्थ

फेज-3 व अर्थ

✓

✓

✓

(1) फेज एवं अर्थ के बीच-

(2) न्यूट्रल एवं अर्थ के बीच-

फेज-1 व 2

फेज-2 व 3

फेज-3 व 4

✓

✓

✓

(3) तारों के मध्य-

नियम - 29 :-

(1) बतायें कि वायरिंग का कार्य, प्रयुक्त सामग्री तथा उपकरण भारतीय मानक संस्थान की व्यवहार संहिता के अनुसार है। ५

(2) बतायें कि प्रत्येक सर्किट अलग-अलग स्विचों द्वारा नियंत्रित है। ५

(3) बतायें कि समस्त विद्युमन्य (जीवान्त) चालकों पर लगाये गये हैं। ५

नियम - 32 :-

बतायें कि दो तार प्रणाली का अर्धवायर तथा बहुतार प्रणाली के भूसम्पर्कित न्यूट्रल वायर पर स्थायी प्रकृति का सूचक लगाया गया है। जिससे कि ऐसे चालक को विद्युतमय (जीवान्त) चालक सुभिन्न किया जा सके।

M/s VEE KAY & CO.

Neel Distt. Hospital

मैं / हम Raffi Nagar Rae Bareli लाइसेंस प्राप्त विद्युत ठेकेदार, लाइसेंस संख्या...R.B.L.32.....निम्न का सत्यापन करते हुए घोषणा करते हैं -

(अ) कि पूर्वोक्त विद्युत संस्थापनों का कार्य मेरे द्वारा किया गया है।

(ब) पूर्वोक्त अंकित संस्थापन का विद्युतरोधी प्रतिरोधी का परीक्षण/सुपरवाइजर द्वारा किया गया है एवं उसका परीक्षण परिणाम मेरे/मेरे सुपरवाइजर द्वारा अंकित किये गये है।

(स) संस्थापन कार्य भारतीय विद्युत नियम, 1956 एवं भारतीय मानक संस्थान की व्यवहार संहिता के प्राविधानों के अनुसर किया गया है।

(द) उपरोक्त कार्य मेरे/हमारे निम्नकिंत द्वारा किया गया है।

वायरमैन का नाम-...रमेश्वरन...परमिट संख्या ...35907.....वैधता की तिथि...११.१०.२०२७....

हस्ताक्षर

पर्यवेक्षक का नाम- ...शिवक भास्म हिंदूपुरी.....प्रमाण पत्र संख्या...13527.....

तिथि...५.१.२०२७.....

हस्ताक्षर द्वारा दिया गया है।

स्टेंस का नाम एवं हस्ताक्षर

दिनांक ३.३.२०२३

रुपरेखा

विद्युत ठेकेदार की फर्म का नाम -

M/s VEE KAY & Co.
Neas Distt. Hosp. w
Rafi sagar - Rae Bareli

लाइसेंस संख्या - ४४१३१

लाइसेंस श्रेणी - २०२५

वैधता की दिनांक - ३१-३-२०२५

For VEE KAY & Co.

ठेकेदार के हस्ताक्षर

Prop

घोषणा (उपभोक्ता द्वारा की जाय)

मैं प्रमाणित करता हूँ कि राज्य विद्युत लाइसेंसी द्वारा विद्युत ऊर्जा के प्रदाय हेतु निर्धारित शर्तों एवं भारतीय विद्युत नियम, 1956 के संविधानों का अनुपालन मेरे द्वारा ठीक प्रकार किया गया है। मुख्य फूज की अधिकतम क्षमता १००% एम्पियर से अधिक नहीं है तथा संस्थापना में किसी प्रकार की बढ़ोत्तरी अथवा लोडिंग राज्य विद्युत राज्य विद्युत परिषद लाइसेंसी द्वारा अनुज्ञा प्राप्त होने पर ही की जायेगी।

राम लखन

उपभोक्ता का नाम एवं हस्ताक्षर

परीक्षण रिपोर्ट

(सप्लायर के प्रतिनिधि द्वारा भरा जायेगा)

विद्युत रोधी प्रतिरोधी का परिणाम-

फेज-1 व अर्थ

फेज-2 व अर्थ

फेज-3 व अर्थ

(1) फेज एवं अर्थ के बीच --

फेज-1 व अर्थ

फेज-2 व अर्थ

फेज-3 व अर्थ

(2) तार के बीच-

विद्युत संस्थापन में पायी गयी कमियां (यदि कोई हो) एवम् कमियों को दूर कराने हेतु कृत कार्यवाही-

1.

2.

3.

4.

प्रदायकर्ता (सप्लायर) के निरीक्षणकर्ता
का नाम एवं हस्ताक्षर
पद नाम

दिनांक.....